फर्द अहकाम

राजस्व–पत्रावली

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 53 सन् 2023 किस्म मुकदमा वाद

घीसाराम वगैराह बनाम राजस्थान राज्य

नांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/ सूचना
03/24	वादीगण द्वारा यह वाद बाबत् घोषणा एवं राजस्व अभिलेख मे अंकन का पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम हमेरपाल पटवार मण्डल तलादरी तहसील कुम्भलगढ की आराजी नंबर 1078/16रकबा 2 बीघा भूमि जिसके वर्तमान जमाबन्दी अनुसार आराजी नंबर 3554/1078 राजस्व रेकार्ड मे वर्तमान मे पेमा,खेता,रामा,भीमा पिता वीरम भील निवासी हमेरपाल के नाम पर दर्ज है उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व मे बिलानाम भूमि थी । उक्त वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु वादी संख्या 1,2,5,,,6,11,12,13 के दादाजी व 3,4,9,10 के परदादाजी व 7,14 के दादीया ससुर व 8 के परदादा ससुर पेमा पिता रामा भील द्वारा एवं प्रतिवादी संख्या 15 के पिता व 16,17,18 के दादाजी व 19 के दादीया ससुर भीमा पिता विरम भील द्वारा वर्ष 1977 मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया था ।उक्त वादग्रस्त भूमि पेमा पिता रामा भील व भीमा पिता विरम भील निवासी गुन्दी का भीलवाडा हमेरपाल तहसील कुम्भलगढ को दिनांक 21.08.77 को श्रीमान् उप जिलाधीश महोदय राजसमन्द द्वारा आवंटन की सिफारिश की गई । वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के वक्त से ही आंवटी मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे थे व उनकी मृत्यु के पश्चात् इनके वारिसान मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है । वक्त आवंटन पट्टा व आदेश संख्या 669/77 बनाते समय सहवन से पेमा,खेता,रामा,भीमा पिता वीरम भील निवासी केलवाडा अंकन होने से राजस्व रेकार्ड मे भी यह गलत नाम दर्ज हो गये है । ग्राम हमेरपाल गुन्दी का भीलवाडा व केलवाडा मे पेमा,खेता,रामा,भीमा पिता वीरम भील नाम का कोई व्यक्ति नही है व न ही था । भूरकीबाई पत्नि लुम्बा व कमलीबाई पत्नि जालुराम फौत हो चुके है जिनके वारिसान पहले से ही वादीगण रेकार्ड पर है । उक्त वादग्रस्त भूमि मे वादी संख्या 1 का 1/18 हिस्सा, वादी संख्या2 का 1/18 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/36 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/36 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 1/24 हिस्सा , वादी संख्या 6 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 7 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 9 का 1/72 हिस्सा, वादी संख्या 10 का 1/72 हिस्सा, वादी संख्या 8 का 1/72 हिस्सा, वादी वादी संख्या 11 का 1/24 हिस्सा,वादी संख्या 12 का 1/24 हिस्सा ,वादी संख्या 13 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 14 का 1/24 [illegible] हिस्सा, वादी संख्या 15 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 16 का [illegible] व वादी संख्या 19 17 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या [illegible] का 1/16 हिस्सा है । अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम [illegible] पटवार मण्डल तलादरी तहसील कुम्भलगढ की उक्त वाद [illegible] भूमि आराजी नंबर 1078/16 रकबा 2 बीघा भूमि जिसके वर्तमान आराजी नंबर 3554/1078 वादीगण के पूर्वजो को आंवटन होने से आवंटी पेमा पिता रामा भील व भीमा पिता विरम भील निवासी गुन्दी का भीलवाडा हमेरपाल तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द के वारिसान जो वादीगण है उनके हिस्से अनुसार उनके नाम दर्ज कराने की घोषणा कराई जाकर वादीगण के नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे ।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.08.08 16:32:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ जिला–राजसमन्द

पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि पेमा पिता रामा भील व भीमा पिता विरम भील निवासी गुन्दी का भीलवाडा हमेरपाल तहसील कुम्भलगढ को दिनांक 21.08.77 को श्रीमान् उप जिलाधीश महोदय राजसमन्द द्वारा आवंटन की सिफारिश की गई ।वक्त आवंटन पट्टा व आदेश संख्या 669/77 बनाते समय सहवन से पेमा,खेता,रामा,भीमा पिता वीरम भील निवासी केलवाडा अंकन होने से राजस्व रेकार्ड मे भी यह गलत नाम दर्ज हो गये है व मूल आवंटी के फौत होने से उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम हमेरपाल पटवार मण्डल तलादरी तहसील कुम्भलगढ के खाता संख्या 313 (आराजी नंबर 1078/16 रकबा 2.00.00 बीघा) जिसके वर्तमान आराजी नंबर 3554/1078 रकबा 0.4320 हैक्टेयर भूमि से खेता पुत्र विरम हिस्सा 1/4 जाति भील सा.देह खातेदार , पेमा पुत्र विरम हिस्सा 1/4 जाति भील सा.देह खातेदार ,भीमा पुत्र विरम हिस्सा 1/4 जाति भील सा.देह खातेदार, रामा पुत्र विरम हिस्सा 1/4 जाति भील सा.देह खातेदार के नाम विलोपित करने का आदेश दिया जाता है व उक्त आराजी नंबर को वादी संख्या 1 का 1/18 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/18 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/36 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/36 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 1/24 हिस्सा , वादी संख्या 6 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 7 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 8 का 1/72 हिस्सा, वादी संख्या 9 का 1/72 हिस्सा, वादी संख्या 10 का 1/72 हिस्सा, वादी संख्या 11 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 12 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 13 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 14 का 1/24 हिस्सा , वादी संख्या 15 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 16 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या 17 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या 18 का 1/16 हिस्सा व वादी संख्या 19 का 1/16 हिस्सा दर्ज करने की घोषणा का आदेश दिया जाता है । तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो । डिक्री की प्रमाणित प्रति पालना हेतु तहसीलदार कुम्भलगढ को भेजी जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ जि. राजसमन्द

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.08.08 16:32:44 IST
Reason: SelfAttested